

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]
No. 751]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 1996/पौष 5, 1918
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1996/PAUSA 5, 1918

गृह मंत्रालय
(अन्तर-राज्य परिषद् सचिवालय)
आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1996

राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

का. आ. 902(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश अन्तर-राज्य परिषद् (संशोधन) आदेश, 1996 कहलाएगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 में, खण्ड 2 में उल्लिखित नोट को निम्नलिखित नोट से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“नोट : केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रियों तथा स्वतन्त्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को स्थायी आमन्त्रितों के रूप में उस स्थिति में बुलाया जा सकता है, जब उन्हें परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में नामित किया गया हो या जब उनके द्वारा देखे जा रहे विषय से संबंधित किसी मद पर विचार किया जाना हो।”

नई दिल्ली,
दिनांक 24 दिसम्बर, 1996

(शंकर दयाल शर्मा)
राष्ट्रपति

[फा. सं. 8/1/96-आई.एस.सी.]

राधाकान्त नायक, सचिव

नोट :—मुख्य आदेश, 28 मई 1990 के संख्या सा.कानि., 512(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें 19 जुलाई 1990 को संख्या का.आ. 575(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Inter-State Council Secretariat)

ORDER

New Delhi, The 24th December, 1996

The following Order by the President is published for general information :—

S. O. 902(E).—In exercise of the powers conferred by article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Inter-State Council Order, 1990, namely :—

1. (1) This Order may be called the Inter-State Council (Amendment) Order, 1996

(2) It shall come into force at once

2. In the Inter-State Council Order, 1990, in clause 2, for the Note, the following Note shall be substituted, namely :—

“Note : Other Ministers and Ministers of State having independent charge in the Union Government may be invited as permanent invitees, if so nominated by the Chairman of the Council, or as and when any item relating to a subject under their charge is to be discussed.”

New Delhi

(S. D. SHARMA)

Dated, the 24th December, 1996

President

[F.No 8 1 96-ISC]

R. K. NAYAK, Secy

Note :—The principal Order was published in the Gazette of India vide number G. S. R. 512 (E) dated, the 28th May, 1990 and subsequently amended vide number S. O. 575(E) dated the 19th July, 1990